भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2733

(04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई के अंतर्गत 'स्पर्श' प्रणाली

2733. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंद्रपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (पीएमएवाई-जी) के चरण-II के अंतर्गत स्वीकृत 57,466 आवासों में से 46,200 आवास (विशेषकर चंद्रपुर, बल्लारपुर और मुल तालुकाओं में) अभी भी निर्माणाधीन हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या जिले के 28 हजार लाभार्थी धन की कमी के कारण दूसरी किश्त से वंचित हैं तथा वे अपने कच्चे आवासों के तोड़े जाने के कारण संकट का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन लंबित किश्तों को एक विशेष मामला माना जाएगा और इन्हें जल्द से जल्द जारी किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नई ऑनलाइन प्रणाली 'स्पर्श' के कारण सर्वर डाउन रहने, फोटो अपलोड न होने जैसी तकनीकी कमियों की वजह से गरीबों की किश्तें रुकी हुई हैं और यदि हां, तो प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने अथवा ऑफलाइन सत्यापन का विकल्प प्रदान करने के लिए क्या योजनाएं हैं; और

(ङ) क्या भवन निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए सरकार का आवासों के निर्माण के लिए केंद्रीय राजसहायता में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत, मंत्रालय द्वारा राज्य को समग्र रूप से लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं और जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायत-वार लक्ष्य योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवंटित/वितरित किए जाते हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने योजना के चरण-II अर्थात वित्त वर्ष 2024-25 से चंद्रपुर जिले में 58,204 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया है। दिनांक 30.07.2026 की स्थिति के अनुसार,

चंद्रपुर जिले में कुल 57,436 आवास स्वीकृत किए गए हैं, 56,266 लाभार्थियों को सहायता की प्रथम किस्त, 36,858 लाभार्थियों को सहायता की द्वितीय किस्त प्राप्त हो चुकी है और 18,019 आवास पहले ही निर्मित हो चुके हैं।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा जियो-टैगिंग पूर्ण होने के बाद, किस्त तत्काल संसाधित की जाती है और सभी निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) क्षेत्रीय तंत्र द्वारा समय के भीतर संसाधित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ग्रामीण आवासों के निर्माण में प्रारंभिक विलंब मुख्यतः ग्रामीण राजमिस्त्रियों की कमी तथा नवीन रूप से शुरू की गई एसएनए स्पर्श प्रणाली में तकनीकी समस्याओं के कारण था।

(घ): एसएनए स्पर्श प्रणाली के कार्यान्वयन में तकनीकी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है और प्रणाली सामान्य रूप से कार्य कर रही है। मंत्रालय एसएनए स्पर्श प्लेटफॉर्म के प्रदर्शन की निरंतर निगरानी करता है तथा किस्तों के सुचारू संसाधन को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर आवश्यक तकनीकी सुधार करता है।

(ङ): प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत, मैदानी क्षेत्रों में प्रति आवास ₹1.20 लाख तथा पहाड़ी राज्यों, जिनमें संघ राज्य क्षेत्र जम्मू व कश्मीर तथा लद्दाख शामिल हैं, में प्रति आवास ₹1.30 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकार ने मौजूदा इकाई सहायता के अनुसार 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिए मार्च, 2029 तक पीएमएवाई-जी को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
